कमलाबाई वगै0 बनाम रामप्रसाद वगै0

रिव्यु प्रार्थना–पत्र संख्या : 2022/155

19.07.2023	पत्रावली वास्ते सुनाने निर्णय पेश हुई । अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां ने दिनांक 11.07.2016 कोर्णय व डिक्री पारित की । अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में पेश की गई, जो अपील संख्या 2016/00426 दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील, अपील संख्या 2016/00426 न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.03.2021 से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2021 के विरूद्ध रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश किया है। रिव्यु प्रार्थना–पत्र के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय मियादं अधिनियम पेश किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने रिव्यु प्रार्थना–पत्र के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने धारा 5 के प्रार्थना–पत्र मे रिव्यु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करमे के हुई विलम्ब की अवधि को क्षमा किये जाने की प्रार्थना की। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। न्यायहित मे अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है। रिव्यु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा रिव्यु प्रार्थना–पत्र अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा लिखित बहस व रिव्यु प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा एक अपील माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.ए. 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी राजस्थान द्वारा निर्णय एवं डिकी दिनांक 11.07.2016 के विरूद्ध पेश की गयी। उक्त प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है की प्रार्थी / रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बून्दी में आर.टी.ए. 1955 की धारा 88, 92–क एंव 188 के अन्तर्गत बाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कुम्हारिया गांव (लक्ष्मीपुरा) तहसील नैनवां जिला बून्दी में कुल 02 किता की रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा भूमि है। प्रतिवादीगण को रूपयों की आवश्यकता के कारण 30 /– रूपये में रहन रख दिया और राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया, बाद में प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज गोपी पुत्र अमरा से रहन की राशि 30/– रूपये तथा 65/– रूपये और लेकर कुल 95/– रूपये लेकर बेचान की राशि प्राप्त कर सम्पूर्ण आराजी का बैचान कर दिया । वादी के पूर्वज गोपी जी की मृत्यु दिनांक 04.06.1989 को हो गयीं। गोपी के दो पुत्र पोलू जी तथा छोटूलाल जी थे। वादी के पूर्वज के पुत्र व वादी संख्या 02 के पिता की मृत्यु दिनांक 26.11.2006 को हो चुकी है। विगत 50 वर्षों से वादीगण मुताबिक बेचाननामे के आधार पर उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है और आज भी प्रार्थीगण का ही कब्जा है। प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के मन में बदनियति व बेईमानी आ गयी। वादीगण जब भी उक्त भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने के लिये कहते है तो वो रजिस्ट्री करवाने से मना कर देते है। इस संबंध में ग्राम कुम्हारिया गांव में इनको नरसिंह भगवान के मन्दिर पर पंचों द्वारा बुलाया गया तो यह लोग नहीं आये क्योंकि यह लोग जानते थे कि उक्त आराजी बेचान की जा चुकी है और कब्जा व काश्त भी प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है। जिसे पूरा गांव समस्त पंच जानते है। पंचनामा भी तैयार किया गया। जो लिखित बहस के साथ संलग्न है जिसमें उन लोगों को दोषी माना गया। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी को खातेदार घोषित करायें और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें । अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया गया है जो कि विधि सम्मत् है। लोक अदालत का केम्प सबसे पहले दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी में लगा था जिसकी सूचना / नोटिस अप्रार्थीगण नियमानुसार व विधि अनुसार दिया दिया गया। जिसकी तामिल भी अप्रार्थीगण को हुई, जहां पर अप्रार्थीगण उपस्थित भी हुये लेकिन अधिकारी के समक्ष जानबूझकर पेश नहीं हुये उसके बाद दूसरा केम्प ग्राम जजावर जिला बून्दी में जिसमें भी अप्रार्थीगण को विधिवत् सूचना / नोटिस जारी किया गया जहां पर भी अप्रार्थीगण तामिल होने के बावजूद भी जानबूझकर पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुये और शाम का समय हो चुका

	था, करीब 04:30 बज चुके थे, और उनको आवाजें भी लगवाई गई फिर भी जानबूझकर हाजिर नहीं हुये, वहां पर प्रार्थीगण को बुलाया गया और अपना निर्णय व डिकी पारित कर दी गयी जो बिल्कुल सही न्यायसंगत व विधिपूर्ण है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की संभावना नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.07.2016 में वर्णित किया है कि "वादी का बाद डिक्री किया जाता है कि ग्राम कुम्हारिया गाव (लक्ष्मीपुरा) की भूमि खाता संख्या 58 खसरा संख्या 2617 रकबा 01 बीघा 108 बिस्वा (किस्म चाही ए रकबा 13 बिस्वा जाव ए रकबा 15 विस्वा) खसरा संख्या 2625 रकवा 01 बीघा 15 बिस्वा (किस्म चाही 2 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा जाव 2 रकबा 03 बिस्वा) कुल किता 2 कुल रकबा 3 विघा 03 बिस्वा मय चाह नं. 2621 पर प्रार्थीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा खाते में हो रहे गोपी आत्मज अमरा के रहन के अंकन को हटाने का आदेश दिया जाता है व अप्रार्थी 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रायोगन के कब्जे का व खाते की भूमि के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे और न ही ऐसा किसी अन्य से कराये। यह आज तारीख 11.07.2016 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।" अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जजावर में रखा गया जिसमें दोनों पक्षकारान को नियमानुसार व विधि अनुसार तलब किया गया था और विधि अनुसार ही निर्णय व डिकी दिनांक 11.07.2016 को पारित किया गया जो बिल्कुल सही है। उक्त दिन अप्रार्थीगण जानबूझकर उक्त केम्प में वहीं होते हुये भी पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुये और ना ही अपनी ओर से कोई दस्तावेज पेश किये गये। मामलों का शीघ्र स्थायी समाधान हो, मुकदमे सिरे से कम हो, व्यथित व्यक्ति को ज्यादा परेशान न होना पड़े और त्वरित गति से न्याय गिले इस उद्देश्य से लोक अदालतों का आयोजन राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार समय–समय पर किया जाता है, और उसी के तहत लोक अदालत में उक्त प्रकरण का निस्तारण स्थायी रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में किया गया है जो कि बिल्कुल सही है। जिसमें हस्तक्षेप की सम्भावना है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2023 को अपने निर्णय के पैरा संख्या 11 व 12 में वर्णित किया गया कथन गलत है. और प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना भी गलत है। ऐसे में काफी समय लगने की सम्भावना है। चूंकि प्रकरण लोक अदालत में फैसल हो चुका है। इस कारण भी उक्त अपील का औचित्य नहीं है। अर्थात लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय व डिकी सर्वमान्य व सर्वोपरी है। माननीय न्यायालय के द्वारा तलब की गयी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का महनता पूर्वक व ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया गया और प्रस्तुत किये गये दस्तावेज का अवलोकन नहीं किया गया और ना ही लोक अदालत के द्वारा दिये गये निर्णय व डिकी पर गौर किया गया है। इस कारण ही यह पुनरावलोकन का

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया । दिनांक 16.03.2021 को पारित निर्णय को अपास्त किया जाना एवं दिनांक 11.07.2016 के निर्णय व डिकी को यथावत रखा जाना प्रार्थीगण हित में व न्याय हित में अति आवश्यक है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रार्थीगण का नाम भूमि रिकार्ड में है। जिसकी प्रति संलग्न है। पंचनामा में भी वर्णित है कि हम समस्त पंचों की तरफ से कहना है कि जमीन भूरा, माधो छोटू कीर आत्मज गंगाराम ने पोलू जी, छोटूजी आत्मज गोपी जी कीर को बेचान कर रखी है जिसका बेचाननामा का स्टाम्प मौजूद है अतः जो भूरा, छोटू माधो कीर इस जमीन पर अपना अधिकार जता रहे है वह अधिकार हमारे पंचों की तरफ से गलत है। यह जमीन पोलू जी, छोटू जी कीर आत्मज गोपी कीर की है। यह पंचनामा आज हम गांव के समस्त पंच गांव के मध्य ठाकुर जी के मन्दिर में इक्कठे होकर लिख रहे है जो सही है। जिस पर सभी पंचों एवं गाव वालों के हस्ताक्षर है। न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक) कोटा द्वारा दिनांक 06.03.2019 के प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण उक्त भूमि के मालिक है। भूरा, माधो, छोटू ने एक बैनामा जमीन जिसमें 30/– रूपये में रहन व 65/– रूपये ओर लेकर कुल 95/– रूपये में गोपी पुत्र अमरा को बेचान कर दी जिसकी प्रति संलग्न है। जिनके कायम मुकाम व दारिस प्रार्थीगण है। इससे स्पष्ट है की प्रार्थीगण ही उक्त भूमि के मालिक है। प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन भी किया गया है कि अप्रार्थीगण को असालतन उपस्थित करावें और उनके पास कोई मालिकाना रजिस्टर्ड, दस्तावेज हो तो वह पेश करें या उक्त भूमि बेचान के बाद वापस प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता ने वापस अप्रार्थीगण को बेच दी हो या रजिस्ट्री करवा दी हो तो ऐसा दस्तावेज पेश करें। इन सब से बचने के लिये ही वे माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं होना चाहते है और ना ही कोई दस्तावेज पेश करना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात से प्रार्थीगण ही उक्त भूमि के रिकार्डेड मालिक है। जिन्हें किसी भी उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अन्त मे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पारित किये गये निर्णय को अपास्त किये जाने एवं अधनीस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के निर्णय व डिकी दिनाक 11.07.2016 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को विधिक रूप से तामील होने पर न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित किया गया है। विधिवत रूप से पारित निर्णय पर आपत्ति करने का रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। उक्त आपत्ति रिव्यु का आधार नहीं हो सकता है। तामील पर पारित आदेश को अपील मे ही चुनौती दी जा सकती

है, रिव्यु मे नहीं। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र विधिक प्रावधानों के विपरीत है। प्रार्थी को न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.03.2021 की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा रिव्यु को मियाद मे लाने का ध्येय से प्रार्थना–पत्र मे असत्य कथन वर्णित किये है। लिमिटेशन के आधार पर भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त योग्य है। रिव्यु का स्कोप सीमित है, जिसमे मियाद , तामील , विधिक प्रश्नों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थी सद्भाविक नहीं होने से सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अन्त मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने रिव्यू प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 16.03.2021 का है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.06.2022 को प्रस्तुत किया गया है, जो लगभग 1 वर्ष 3 माह पश्चात प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील संख्या 2016/00426 मे न्यायालय हाजा द्वारा विधिवत् रूप से उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 16.03.2021 को निर्णय सुनाया गया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रार्थीगण को समय पर जानकारी थी। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर है। यदि गुणावगुण पर भी प्रार्थीगण के हस्तगत पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 229(2) में अंकित बिन्दुओं का अवलोकन करें तो अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस में भी उन्हीं बिन्दुओं को पुनः दोहराया गया है, जो पूर्व मे भी अपना पक्ष रखते समय प्रकट कर चुके है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह तर्क हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता कि लोक अदालत के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि हस्तगत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 में लोक–अदालत की विधिक प्रकिया व प्रावधानों की पालना नहीं की गई। पुनरावलोकन का परिक्षेत्र बहुत सीमित होता है। पुनरावलोकन तभी किया जाना उचित होता है जब "अभिलेख के मुख पर प्रकट–त्रुटि" होना पाया जाए। हस्तगत प्रकरण मे कोई एरर अपेरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ रिकॉर्ड या मैटेरियल इररेगुलरिटी नहीं हुई है। हमारे समक्ष ऐसा कोई नवीन कारण या तथ्य नहीं है जिसके कारण हस्तगत प्रकरण मे पुनरावलोकन किया जाए। पुनरावलोकन का परिक्षेत्र बहुत सीमित होता है। पुनरावलोकन एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकता तथा पुनरावलोकन की आड़ मे मामले का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.03.2021 से स्पष्ट है कि अधीनस्थ

विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.07.2016 लोक अदालत में पारित किया गया परन्तु लोक अदालत के प्रावधानों के अनुसार नहीं था। अतः न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 16.03.2021 द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय करने के निर्देश दिए गए। हमारे मत में न्यायालय हाजा द्वारा सम्यक विवेचन के उपरांत तर्कसंगत व विधिसम्मत रूप से निर्णय दिनांक 16.03.2021 पारित किया गया है, जिसे देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर प्रकट नहीं होती। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2021 यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थना–पत्र की पत्रावली मूल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा